

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

30.03.2017/11/13/18

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश-पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०.....सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
---------------------------------	--	---

30.03.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1705/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या-161/2016 दिनांक 20.10.2016 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये देशी शराब (महुआ) का 01(एक) पाऊच 300एम०एल० एवं 23 (तेईस) पाऊच 300 एम०एल० का कुल 07 लीटर 200 एम०एल० थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष बेलदौर का तलासी-सह-जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।

देशी शराब (महुआ) का 01(एक) पाऊच 300एम०एल० एवं 23 (तेईस) पाऊच 300 एम०एल० का कुल 07 लीटर 200 एम०एल० सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right margin, including dates and names, such as '30.03.2017', '10.05.2017', and '20.10.2016'.